भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2329

सोमवार, 3 अगस्त, 2026 / 12 श्रावण, 1948 (शक)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की विशेषताएँ और उद्देश्य

†2329. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्षेत्रीय फोकस और लक्षित रोजगार सृजन सहित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) नियोक्ता प्रोत्साहन और डिजिटल पोर्टल एकीकरण सहित प्रतिष्ठानों और श्रमिकों के लिए पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार के स्तर और औपचारिक क्षेत्र में समावेशन पर इसके प्रभाव सहित योजना के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी या मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01 जुलाई 2025 को विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष की है और इसका बजटीय परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है।

यह योजना दो भागों अर्थात् भाग-क और भाग-ख में विभाजित है तथा प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

योजना के भाग-क के अंतर्गत, वर्तमान और नए दोनों प्रकार के स्थापनों के प्रथम-बार नियोजित होने वाले कर्मचारी अधिकतम 15,000 रुपये की सीमा के अध्यधीन, एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे। यह प्रोत्साहन रोजगार के प्रथम वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय होगा। 7,500 रुपये तक की पहली किस्त छह महीने का निरंतर रोजगार पूरा होने के बाद संवितरित की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पात्रता बारह महीने का रोजगार पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बनेगी। यह दूसरी किस्त एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक उपयुक्त बचत साधन/बचत खाते में जमा की जाएगी।

जारी.../-2

इस योजना का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भाग-क के अंतर्गत 1.92 करोड़ पात्र प्रथम-बार नियोजित होने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करती है। योजना के भाग-ख के अंतर्गत नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त रोजगारों के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

दिनांक 29.07.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत देश भर में कुल 5,52,327 स्थापनों को पंजीकृत किया जा चुका है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम-प्रधान तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व वाली एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

यह योजना आवश्यक सुधार के लिए एक मध्यावधि मूल्यांकन तथा किसी तीसरे पक्ष द्वारा योजना के परिणामों का आकलन करने के लिए एक अंत्यावधि मूल्यांकन का भी प्रावधान करती है।
